संख्या–837 / 23–12–2014–700140840 / 14

2-06/UPADB/CEWB/2013

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2014

विषयः–एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) गठन हेतु कंसल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0–57/2–06/यू0पी0ए0डी0बी0/सी0ई0डब्लू0बी0/2014, दिनांक 26.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) गठन हेतु कंसल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु रू0 3.26 करोड़ (रुपये तीन करोड़ छब्बीस लाख मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

3– उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान सं0–58 के "लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–05–अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–97–वाहय सहायतित परियोजनायें–9703 –एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु 24–वृहद निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा।

कैम्प मु0 अभि0 (मु0–I) लो0नि0वि0
डायरी सं0 1863 दि0 14.8.14

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव

f.chart GO 2014 (R)
405

संख्या– 837(1)/23–12–2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8
6– मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8– लोक निर्माण अनुभाग–10
9– वेब मास्टर/वेब अधिकारी, कम्प्यूटर सेल ।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव